जीसीएमएस नं–2013/00045

न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

रेफरेन्स प्रकरण सं0 119/2013

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. गुरभजन सिंह पुत्र श्री ठाकरसिंह, जाति जटसिख, साकिन 12 एचएच, तहसील श्रीगंगानगर।

अप्रार्थी

रेफरेन्स राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82

उपस्थित : राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से।
अनुपस्थित : श्री विक्रम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी।

आदेश **दिनांक : 29.05.2026**

स्टेट की ओर से तहसीलदार, श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी के खिलाफ भू0 राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जमाबंदी संवत 2011 में चक 12 एच.एच. के मु.न. 56/12 के किला नं. 6/0.19, 7/1.0, 15/0.19 कुल 2.18 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज रिकार्ड थी। दिनांक 05.12.1978 को चक 12 एच.एच. के मुरब्बा नं. 12 किला न. 6/0.19, 7/1.0, 15/0.19 कुल 2.18 बीघा आंवटन होकर अप्रार्थी गुरभजन सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह जाति जटसिख सा. 12 एच.एच. के नाम से गैर खातेदारी दर्ज कर दी गई। चक 12 एच.एच. के मुरब्बा नं. 12 किला न. 6/0.19, 7/1.0, 15/0.19 कुल 2.18 बीघा भूमि की किस्म जोहड़ दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि थी और आवंटन योग्य नहीं थी। आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया। वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है और आवंटन खारिज योग्य है। अतः रेफरेंस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर रिकार्ड में जोहड़ दर्ज किया जावे।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner

रेफरेन्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई द्वारा रेफरेन्स का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.08.2016 को वकालतनाम प्रस्तुत किया गया, उसके उपरांत जवाब पेश करने हेतु वर्ष 2016 से लेकर आदिनांक तक लगभग 10 वर्षों का समय बीत जाने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित नहीं। राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रस्तुत रैफरेंस में वर्णित भूमि आवंटन के लिए प्रतिबन्धित थी। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी का होने से अवैध है और आवंटन खारिज किये जाने योग्य है। वर्तमान रैफरेन्स भू–राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत किया गया है जो कि कानून किया गया है और इसके आगे यह भी कहा की पूर्व में ऐसे ही प्रकरणो में रैफरेन्स किये गये है जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा रैफरेनस स्वीकार भी किये गये है और जोहड पायतन में किये गये आवंटन को निरस्त किया गया है । **राजकीय अधिवक्ता इस तथ्य की पुष्टि हेतु माननीय राजस्व मण्डल का निर्णय रैफरेन्स /एल.आर/4629/2016/हनुमानगढ राजस्थान सरकार बनाम सुलतान अली निर्णय दिनांक 05.07.2017 की प्रति पेश की है।** इस प्रकार राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत किया गया आवंटन प्रारम्भ से ही शून्य एवं अवैध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–11 एवं माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29–05–12 द्वारा भी <u>जोहड़ पायतन</u> की भूमि को खाली रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी को किया गया आवंटन अवैध है जो खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध चक 12 एच.एच. की जमाबन्दी सम्वत् 2011 के मु.न. 56/12 के किला नं. 6/0.19, 7/1.0, 15/0.19 कुल 2.18 बीघा भूमि गैरमुमकिन जोहड दर्ज था। आदेश दिनांक 05.12.1978 को चक 12 एच.एच. के मु. न. 56/12 के किला नं. 6/0.19, 7/1.0, 15/0.19 कुल 2.18 बीघा आवंटित किया गया व दिनांक 05.12.1978 को अप्रार्थी गुरभजन सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner

के नाम नामांतरण दर्ज किया गया। उक्त भूमि की किस्म **जोहड पायतन** दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के प्रतिकूल होने से अवैध है।

अतः रेफरेन्स में वर्णित भूमि की किस्म **जोहड पायतन** होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबंधित भूमि है, और आवंटन योग्य नहीं है ऐसी स्थिति में आवंटन के लिए प्रतिबंधित भूमि का आवंटन अप्रार्थी को किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में प्रतिकूल होने से प्रारम्भ से ही अवैध एवं शून्य है तथा राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(146) राज–7/2011 जयपुर, दिनांक 26–06–12 में वर्णित माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 1132/11 जगपालसिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–01–11, माननीय राजस्थन उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–04 एवं एस0बी0सिविल रिट याचिका सं0 11153/2011 सुआमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 29–05–12 किया है एवं ***माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29–05–12 द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित प्रतिबंधित भूमियों जैसे नदी, नाला, तालाब, जोहड़ के रूप में दर्शायी गई है तथा जिनके Water Flow से उक्त जलाशयों में पानी पहुँचता है, में किये गये भूमि आवंटन एवं खातेदारी अधिकार दिये गये हैं, को धारा 16 के विपरीत मानते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि 31–10–1955 की स्थिति अनुसार नदी, नाला, तालाब, बॉध, जोहड़ की स्थिति बहाल किये जाने के आदेश दिये हैं,*** के आलोक में आवंटन खारिज किये जाने योग्य होने से मामला अप्रार्थी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत रेफरेन्स योग्य उपयुक्त पाए जाने पर स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति तहसीलदार, श्रीगंगानगर को प्रेषित हो। तहसीलदार श्रीगंगानगर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक पक्षकारों को संयोजित कर रेफरेन्स तैयार कर पेश कर निर्णय की पालना में समुचित कार्यवाही अविलम्ब करे।

आदेश आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

Say No to Drugs

Scanned with OKEN Scanner